न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, खोरी मुहुआ (गिरिडीह)

वाद सं० 37/2017
गुड्डु कुमार - बनाम - कुलन राम
धारा 144 दं० प्र० सं०

आदेश पत्रक

08.7.17

स्थानीय पुलिस देवरी थाना से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर उभय पक्षों के विरुद्ध नोटिस निर्गत कर सुनवायी में बहस सुनकर विवादित भूमि मौजा-रानीडीह खाता नं० 04 प्लॉट नं० 137 रकबा 27 डी० चौहद्दी :- उ० - गोविन्द साव द० - छोटन महतो, पु० - रोड, प० - वासुकी राम। उक्त भूमि को लेकर दोनो पक्षों के बीच शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु दं० प्र० सं० की धारा 144 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए उनसे कारण-पृच्छा की मांग की गयी।

प्रथम पक्ष के ओर से कारण-पृच्छा दाखिल किया गया। जिसमें उनका कथन लिखित बहस में अंकित है। प्रथम पक्ष का कहना है कि वंशावली के अनुसार दोनो पक्ष आपस में गोतिया हिस्सेदार है। दोनो पक्ष घरैया बंटवारा के अनुसार अपने-अपने हिस्से पर जोत आबाद करते चले आ रहे है। लेकिन मेरे हिस्से के जमीन को द्वितीय पक्ष के द्वारा अपने पत्नी के नाम से विक्रय कर दिया गया, जो गलत है। रानीडीह मौजा के अन्तर्गत खाता नं० 04 में जो भी जमीन है उसमें प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष आधे-आधे का हिस्सेदार है।

अभिलेख का अवलोकन किया। द्वितीय पक्ष को नोटिस तामिला प्राप्त होने के बाद भी वे न्यायालय के समक्ष अनुपस्थित रहे हैं —

P.T.O.

Scanned with CamScanner

इसलिए उन्हे प्रश्नगत वाद में भूमि को लेकर कुछ नही कहना है। इस वाद में उन्हे कोई अभिरुचि नही रही। विवाद-जमीन हिस्सेदारी बंटवारा से संबंधित है। उक्त संदर्भ में थाना प्रतिवेदन मे प्रतिवेदित है कि मामला सक्षम न्यायालय में पार्टिशन सूट चल रहा है।

लगायी गयी निषेधाज्ञा की अवधि समाप्त हो चुकी है। इसलिए इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित

अनु० दण्डा०

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
खोरी महुआ।